न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 69 / 2013

1 भगवाना पुत्र दुदाराम जाति जाट आयु 42 वर्ष निवासी अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 चिरंजीलाल पुत्र हणमान।
2 सन्तोष कुमार पुत्र हणमान।
3 अशोक कुमार पुत्र हणमान।
4 महेश कुमार पुत्र हणमान।
5 धन्नी देवी धर्मपत्नी हणमान निवासीगण अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर।
6 तहसीलदार सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।
7 सोनकी बेवा दुदाराम।
8 रिडमल पुत्र दुदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व
आदेश दिनांक 30.11.2012 मुकदमा नम्बर 19 / 2010
बउनवानी भगवानाराम बनाम चिरंजीलाल द्वारा ए.सी.एम
द्वितीय सीकर श्रीमती अनुपम कायल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री महोश जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 18.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा संख्या 19/2010 मे पारित निर्णय दिनांक 30.11.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट एवं दावे में औपचारिक प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 3.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 2.80 हैक्टेयर है ग्राम अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 2 वाके अजीतपुरा रहे है अभिनव भू—प्रबन्ध के दौरान पुराने खसरा नम्बर 2 के नये खसरा नम्बर 4,5,8 कायम किये गये है। अपीलांट व दावे औपचारिक प्रति संख्या 6 से 10 की खातेदारी की भूमियो में से एक मौसमी रास्ता पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर से जिससे ग्राम के काश्तकार आवागमन करते है गुजरता है। उक्त पूर्व से पश्चिम की ओर से जिससे ग्राम के काश्तकार आवागमन करते है गुजरता है। उक्त पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले मौसमी रास्ते के उतर में करीब 40 मीटर भूमि की पट्टी अपीलांट के खाते कब्जे काश्त की है। जिसे पक्षकारान आज ही काश्त कर रहे हैं। खसरा नम्बर 4,5,8 के चारो ओर से कच्ची मिट्टी 5—5 फीट ऊँची डोली व छड़िया लगाई हुई हैं तथा मौसमी रास्ता पूर्व में जिस स्थान पर प्रचलित था उसी जगह आज भी कायम है। अपीलांट द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत अंकन को दुरूस्त करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बउनवानी भगवानाराम बनाम चिरंजीलाल आदि संख्या/10 तथा इसी उनवानी टी.आई. आवेदन संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

19/10 पेश किया जिसमे रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा जवाबदेही प्रस्तुत करते हुए मिथ्या कांउटर क्लेम पेश किया। बाद सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.11.2012 को रेस्पोडेंट का काउन्टर क्लेम खारिज करते हुये। प्रार्थी अपीलांट की टी.आई. आवेदन भी खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अभिनव भू–प्रबन्ध कार्यवाही के समय रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 व उनके पूर्वज हणमान ने राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से साज कर अवैध व अनुचित ढंग से प्रभावित कर उक्त रास्ते का अंकन खसरा नम्बर 5 की उतरी सींव से सटकर अंकित करवा लिया जबकि उक्त रास्ता पुरानी नक्शा सर्वे शीट में खसरा नम्बर 2 की उतरी सींव से 40 मीटर पट्टी छोड़ कर अंकित रहा है तथा आज भी उसी स्थान पर मौजुद है। राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन मात्र से अनाधिकृत रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही हो जाते है तथा अधिकृत अपीलांट एवं औपचारिक अपीलांट संख्या 7 से 8 के हक अधिकार समाप्त नही हो जाते है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 4,5,8 के सहखातेदारान के मध्य बाहमी बंटवारा पिछले 30 वर्षो से अस्तित्व मे चला आ रहा है। जिसके मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 4 व 5 का सम्पुर्ण रकबा अपीलांट व औपचारिक रेस्पोडेंट संख्या 7 व 8 के कब्जे हक अधिकार मे चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पूर्वज हणमान द्वारा पूर्व में विधिक कार्यवाही कर अपना रास्ता दावे मे प्रतिवादी संख्या 8 से 10 के हिस्से मे आई भूमि खसरा नम्बर 8 में से क्लेम किया गया था। जिसका रिकार्ड पत्रावली पर मौजुद होते हुये तथा पुरानी व नई नक्शा सर्वे शीट से रास्ते का अंकन उत्तरी और करीब 40 मीटर खिसका हुआ प्रमाणित होने के बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का टी.आई. आवेदन खारिज विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य रास्ते को लेकर विवाद होने का तथ्य विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में स्वीकार किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि ग्राम पंचायत के निर्णय, तहसीलदार के निर्णय से भी होती है। रास्ते का विवाद मूलवाद में उभयपक्ष को सुनकर निर्णित किया जाना है। इससे पूर्व पक्षकारो में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय को मूलवाद के निर्णय तक विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नही कर विधिक भूल की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक विवादित भूमि खसरा नम्बर 4,5 व 8 ग्राम अजीतपुरा तहसील व जिला सीकर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर